अधिसूचना अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908

पंजीयन शुल्क की सारणी

अधिसूचना क्र. 818-635-वी-एस. आर. दिनांकित 24 फरवरी, 1975 - भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में और रजिस्ट्री विभाग अधिसूचना क्र. 107-8 कांफ, VI - आर, दिनांकित 16 मार्च, 1995 क्र. 2948-255 - VI- 72 दिनांक्ति 1 अगस्त, 1972 और क्र. 3371-V-एस. आर. दिनांकित 17-6-1974 के तहत पूर्व में तैयार की गई एवं प्रकाशित शुल्कों की सारणी के अधिक्रमण में राज्य सरकार, एतदद्वारा, उक्त अधिनियम के तहत संदेय रजिस्ट्रीकरण शुल्क की निम्नलिखित नवीन सारणी तैयार करती है और उसकी धारा 71 के द्वारा यथा अपेक्षित, इसको प्रकाशित करती है ।

(2) यह अधिसूचना 1 मार्च 1975 से प्रभावशील होगी ।

पंजीयन शुल्क की सारणी*
एक- पंजीयन शुल्क (साधारण)
अ-यथाख्त दरों से प्रभारणीय दस्तावेज
पहला अनुच्छेद
पट्टों के अतिरिक्त समस्त दस्तावेजों के पंजीयन के लिए

(क) जब [1][बाजार मूल्य] 100 रुपये से अधिक न हो	2.00
(ख) जब [1][बाजार मूल्य] 100 से अधिक किन्तु 200 रुपये से अधिक न हो	3.00
(ग) जब [1][बाजार मूल्य] 200 रुपये से अधिक किन्तु 300 रुपये से अधिक न हो	4.50
(घ) जब [1][बाजार मूल्य] 300 रुपये से अधिक किन्तु 400 रुपये से अधिक न हो	6.00
(ङ) जब [1][बाजार मूल्य] 400 रुपये से अधिक किन्तु 500 रुपये से अधिक न हो	7.50
(च) जब [1][बाजार मूल्य] 500 रुपये से अधिक किन्तु 600 रुपये से अधिक न हो	9.00
(छ) जब [1][बाजार मूल्य] 600 रुपये से अधिक किन्तु 700 रुपये से अधिक न हो	10.50
(ज) जब [1][बाजार मूल्य] 700 रुपये से अधिक किन्तु 800 रुपये से अधिक न हो	12.00
(झ) जब [1][बाजार मूल्य] 800 रुपये से अधिक किन्तु 900 रुपये से अधिक न हो	13.50
(ञ) जब [1][बाजार मूल्य] 900 रुपये से अधिक किन्तु 1000 रुपये से अधिक न हो	15.00
(ट) जब [1][बाजार मूल्य] 1,000 रुपये से अधिक किन्तु 10,000 रुपये से अधिक न हो तो 1000 रु. से अधिक प्रत्येक 500 रु. या उसके किसी भाग के लिए	5.00
(ठ) जब [1][बाजार मूल्य] 10,000 रुपये से अधिक किन्तु 50,000 से अधिक न हो 10,000 रुपये से अधिक प्रत्येक 500 रुपये या उसके किसी भाग के लिए	5.50
(ड) जब [1][बाजार मूल्य 50,000 रुपये से अधिक हो तो 50,000 रु. से अधिक 500 रुपये या उसके किसी भाग के लिए	4.00
(ढ) जबकि संव्यवहार धन के रूप में मूल्यांकित न किया जा सकता हो	150.00

[1][(2) विभाजन की लिखतम की दशा में पृथक् हिस्सा या हिस्सों का वह बाजार मूल्य जिसके

आधार पर मुद्रांक शुल्क चुकाया गया हो पंजीयन शुल्क के निर्धारण के प्रयोजन के लिए बाजार मूल्य के रूप में माना जाएगा ।]

[2][(3) दस्तावेज में जिस प्रकार कि बाजार मूल्य बताया गया हो वही पंजीयन शुल्क सुनिश्चित करने का होगा । उस स्थिति में जबकि कोई बाजार मूल्य नहीं बताया गया हो तो संबंधित पक्षकारों को बाजार मूल्य बनाने का एक मौका दिया जाएगा और इस अवसर को लेने में असफल रहने पर पंजीयन अधिकरी पंजीयन शुल्क निम्नानुसार आंकेगा -

1. इस अनुच्छेद के खण्ड (ढ) में, या

2. दस्तावेज में बताए प्रतिफल के आधार पर जो भी अधिक हो ।

(4) जब किसी निश्चित धनराशि के लिए विक्रय बंधक आदि का करार निष्पादित किया जाए और डीयर के लिए प्रस्तुत किया जाए तो ऐसी धनराशि पर यथा न्ल्यू पंजीयन शुल्क प्रभारित किया जाना चाहिए । बाद मे पंजीयन के लिए प्रस्तुत किए गए वास्तविक हस्तान्तरण बंधक आदि पर 5 रुपये का नियत शुल्क का उद्ग्रहण खा बाना चाहिए, यदि र्ख के करारों का पंजीयन पदाधिकारी के संतोष के अनुरूप प्रमाणित क्क दिया गया हो ।

(5) स्वामीगत फर्म अथवा साझेदारी द्वारा उसको बैक से दिए गए ऋण की प्रतिभूति के रूप में ।ग्मादित गिरवी बन्ध - पत्र पर केवल 15 रुपये के नियत शुल्क का उद्ग्रहण किया जाएगा ।

[3][(6) ऊर्जा उत्पादन तथा खनिज तेल परिष्करण के क्षेत्र में किसी "नवीन उद्योग" द्वारा स्थापित करने है लिए पूँजी जुटाने हेतु निष्पादित बंधक विलेख के बारे में प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस की अधिकतम सीमा एक लाख हपये होगी ।

स्पष्टीकरण - इस प्रयोजन के लिए "नवीन उद्योग" से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जिसने 19-8-1999 के पूर्व उत्पादन नहीं किया हो और उद्योग आयुक्त द्वारा या उनके द्वारा इस निमित नियुक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा इस प्रकार प्रमाणित किया जाए ।

[4][(7) जब कोई पावर ऑफ अटार्नी सामान्य या विशेष जिसके द्वारा अभिकर्ता को अचल संपत्ति के अंतरण का अधिकारी दिया गया हो तथा यथा मूल्यवान स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य हो निष्पादित की जाए तथा रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत की जाए तो ऐसी पावर ऑफ अटार्नी पर फीस सारणी के इस अनुच्छेद के अधीन प्रभारित की जानी चाहिए । यदि कोई हस्तांतरण पत्र ऐसी पावर ऑफ अटार्नी के अनुसरण में पावर ऑफ अटार्नी के निष्पादक और ऐसे व्यक्ति के बीच जिसके पक्ष में उसे निष्पादित किया गया है निष्पादित किया जाता है वहाँ हस्तांतरण पत्र पर फीस ऐसी फीस होगी जो संपत्ति के बाजार मूल्य पर संगणित की गई फीस में से पावर ऑफ अटार्नी पर भुगतान की गई फीस को कम करके आती है ।]

[1][(8) हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित करारों पर हजार रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत रकम के 0. 5 प्रतिशत की दर से रजिस्ट्रीकरण फीस उद्ग्रहीत की जाएगी ।

केवल मध्यप्रदेश में लागू

[2][(9) उन व्यक्तियों, जिनकी भूमि आटो टेस्टिंग ट्रेक परियोजना, पीथमपुर, जिला धार के लिए अर्जित है, के पक्ष में निष्पादित किए गए विक्रय विलेख पर रजिस्ट्रीकरण फीस निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन हुए प्रभार्य नहीं रहेगी, अर्थात् -

(1) धार जिले के कलेक्टर से संलग्र प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाये, जिसमें आटो टेस्टिंग ट्रेक परियोजना, पीथमपुर के लिए भूमि अर्जन के लिए संदत्त मुआवजे की रकम के साथ-साथ विशेष पुनर्वास अनुदान की रकम का उल्लेख हो;

(2) उक्त खण्ड (1) की स्थिति विक्रय विलेख में अभिव्यक्त की जाये;

(3) छूट की पात्रता मुआवजे तथा विशेष पुनर्वास अनुदान की रकम पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस की राशि तक सीमित होगी; तथा

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस की वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को प्रतिपूर्ति लिखत के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक माह के भीतर की जाएगी ।

प्रमाण-पत्र

क्रमांक दिनांक............................

प्रमाणित किया जाता है श्री...................................पिता श्री....................... निवासी ग्राम तहसील........................ जिला......................की भूमि क्षेत्रफल हेक्टेयर, आटो टेस्टिंग ट्रेक परियोजना, पीथमह, जिला धार के लिए अर्जित की गई है, जिसके लिए संदाय की गई मुआवजा एवं अनुदान राशि का विवरण निम्नानुसार है :

मुआवजा राशि :-

विशेष अनुग्रह राशि :-

योग :-

2. यह प्रमाण-पत्र श्री..........................पिता श्री.........................द्वारा श्री..................पिता श्री...................के पक्ष में निष्पादित ग्राम............................की भूमि क्षेत्रफल .... हेक्टेयर भूमि के विक्रय-पत्र पर रजिस्ट्रीकरण फीस से छूट प्रदान करने के लिए लागू होगा, इस रजिस्ट्री के उपरांत रजिस्ट्रीकरण फीस से छूट की राशि की पात्रता, शेष मुआवजा एवं विशेष पुनर्वास अनुदान की कुल राशि रु...........................श्री...................आत्मज श्री................. द्वारा प्राप्त की गई मुआवजा राशि एवं विशेष पुनर्वास अनुदान के योग को राशि पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस से अधिक नहीं होगी |

कलेक्टर, धार]

दूसरा अनुच्छेद

पट्टो के पंजीयन के लिए
[1][50 रुपए के न्यूनतम के अध्यधीन रहते हुए पट्टे पर देय मुद्रांक शुल्क के मूल्य के तीन- चौथाई यदि पट्टे पर मुद्रांक शुल्क की छूट हो तो शुल्क [1][50.00]

ख-नियत शुल्क से प्रभारणीय दस्तावेज

1[तीसरा अनुच्छेद]

निम्नलिखित के रजिस्ट्रीकरण के लिए-		रु पैसे
(क)	वसीयत	200.00
(ख)	दत्तक लेने के लिए प्राधिकारी या दत्तक ग्रहण विलेख	100.00
(ग)	अटार्नी का सामान्य अधिकार (यथा मूल्यवान स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य को छोड़कर)	100.00]

विवाह विच्छेद विलेख या डिक्री तथा न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि

[1][चौथा अनुच्छेद]

निन्नलिखित के रजिस्ट्रीकरण के लिए-

(क)	ऐसे दूसरे विलेख के जो पहले ही रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका हो, कारण प्रतिफल के भुगतान की प्राप्ति अभिस्वीकृति का पृथक् विलेख, तथा	वही फीस जो कि मूल्य विलेख के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित हो यदि ऐसी फीस 100 रुपए अधिक न हो, अन्यथा 100 रुपए ।
(ख)	पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किसी दस्तावेज को संशोधित परिवर्तित अथवा शोधित, किन्तु निरसित नहीं करने वाली दस्तावेज |	वही फीस जो कि मूल्य विलेख के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित हो यदि ऐसी फीस 100 रुपए अधिक न हो, अन्यथा 100 रुपए ।]

[1][पांचवा अनुच्छेद]

निन्नलिखित के रजिस्ट्रीकरण के लिए-	रु. पैसे
(क) अटार्नी का विशेष अधिकारी (यथा मूल्य मान स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य को	50.00
छोड़कर)	50.00
(ख) सेवा या किराए का करार	100.00
(ग) संलेखों के प्रतिरूप या दूसरी प्रतियां	100.00
(घ) बिना किसी प्रतिफल के सम्मति विलेख	100.00
(ङ) पट्टे की तरह का करार बिना किसी प्रीमियम या भाड़े के	50.0
(च) कोई भी अन्य दस्तावेज जो इस सारणी के किसी अन्य अनुच्छेद के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता हो	10.00
(छ) भू-सुधार या कृषक ऋण अधिनियम के अधीन ऋण के लिए या बंधव विलेख	

[1][छठा अनुच्छेद]

पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किसी दस्तावेज को निरसित करने वाले दस्तावेज के पट्टे के समर्पण के या पट्टे के हस्तांतरण के जो किसी भी प्रतिफल के बिना हो, रजिस्ट्रीकरण के लिए |	वही फीस जो कि मूल दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित हो, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि है दस्तावेज अधिकतम केवल 100 रुपए होगा |

दो-पंजीयन शुल्क (असाधारण)

1[सातवां अनुच्छेद]

रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के रु. 200 साधारण शुल्क के अतिरिक्त लिए अतिरिक्त शुल्क

तीन-पंजीयन से आनुषंगिक शुल्क

[1][आठवां अनुच्छेद]

समस्त मामलों में देय-	रु. पैसे
(क) दस्तावेजों पर पृष्ठांकन की प्रतिलिपि करने के लिए नियत फीस	10.00
(ख) संबंधित पुस्तक में रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों की प्रतिलिपि करने के लिए	2.50
	प्रत्येक पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग के लिए जिसमें 100 शब्द हों

[1][नवा अनुच्छेद]

(क) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए छपे हुए दस्तावेजों की छपी हुई प्रतिलिपियों की तुलना करने के लिए प्रत्येक पृष्ठ के भाग के लिए जिसमें 100 शब्द हों ।	0.50
(ख) प्रत्येक प्रतिलिपि को दाखिल करने के लिए	10.00]

[1][दसवां अनुच्छेद]

विशेष मामलों में देय-	रुपए पैसे
(अतिरिक्त में) धारा 64, 65 और 66 के अधीन भेजे जाने वाले ज्ञापन की प्रत्येक प्रतिलिपि के लिए, समान शुल्क ।	10. 00

[1][ग्यारहवां अनुच्छेद]

	रुपए पैसे
अनुवाद या लिप्यन्तर दाखिल करने के लिए (धारा 62)	10.00

[1][बारहवां अनुच्छेद]

रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को डाक से लौटाने के लिए-	रुपए पैसे
(क) सकल दस्तावेज के लिए	30.00
(ख) उसी रजिस्टर्ड लिफाफे में लौटाए जाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त दस्तावेज के लिए	15.00

[1][तेरहवां अनुच्छेद]

(क)	ऐसे दस्तावेज की अभिरक्षा के लिए जो उस दिनांक से जिसको उस पर रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया गया हो, एक माह तक बेदावेदार रही हो	पहले माह के पश्चात् ऐसे प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए जिसके दौरान दस्तावेज बेदावेदार रही हो ।
(ख)	ऐसे दस्तावेज की प्रतिलिपि की अभिरक्षा के लिए जो रजिस्ट्रीरकरण के लिए प्रस्तुत की गई हो या जिसका रजिस्ट्रीकरण किया जा चुका हो, जब कि ऐसी प्रतिलिपि रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में किसी व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर तैयार की गई हो और एक माह तक बेदावेदार रही हो, उस दिनांक से, जब से कि वह प्रतिलिपि आवेदक को दिए जाने के लिए तैयार थी ।	5.00 पहले माह के पश्चात् ऐसे प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए जिसके दौरान दस्तावेज बेदावेदार रही हो |

चार - जेल जाने और कमीशन के लिए शुल्क

[1][चौदहवां अनुच्छेद]

धारा 31, 33 या 38 के अधीन व्यक्तिगत निवास स्थान या जेल पर प्रत्येक उपस्थिति के लिए धारा 33 या 38 के अधीन आयोग जारी करने के लिए-

	रुपये पैसे
(क) यदि वह व्यक्ति जेल में हो	50.00
(ख) यदि वह व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होने में शरीर से असमर्थ हो	75. 00
(ग) अन्यथा	150.00

पांच - विलंबित प्रस्तुति तथा विलंबित उपस्थिति के लिए शुल्क

[1][पन्द्रहवां अनुच्छेद]

विलंबित प्रस्तुति (धारा 25) और विलंबित उपस्थिति (धारा 34) के लिए जुर्माना नीचे दिए गए मान से नियमित होगा- -

मान

(क) जहां विलम्ब एक मास से अधिक न हो, वास्तविक पंजीयन शुल्क की धनराशि का दुगुना जुर्माना;

(ख) जहां विलम्ब एक मास से अधिक हो, किन्तु दो मास से अधिक न हो, वास्तविक पंजीयन शुल्क की धनराशि का चौगुना जुर्माना;

(ग) जहां विलम्ब दो मास से अधिक किन्तु तीन मास से अधिक न हो, वास्तविक पंजीयन शुल्क की धनराशि का छः गुना जुर्माना ।

(घ) जहां विलम्ब तीन मास से अधिक किन्तु चार मास से अधिक न हो, वास्तविक पंजीयन शुल्क की धनराशि का दस गुना जुर्माना ।

छः - तलाशियों के लिए तथा प्रतिलिपियों के लिए शुल्क

[1][सोलह अनुच्छेद]

(क)	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की गई तलाशी के लिए प्रत्येक प्रविष्टि या दस्तावेज के लिए- प्रत्येक प्रविष्टि या दस्तावेज के लिए परन्तु यह और भी कि कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति का भारमुक्तता प्रमाण- पत्र पाने की वांछा करता है, वह खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के अधीन तलाशी फीस के अतिरिक्त प्रत्येक प्रमाण-पत्र के लिए 10 रुपए की नियत फीस चुकाने का दायी होगा ।	5.00 प्रतिवर्ष
(ख)	आवेदक को निरीक्षण की अनुज्ञा देने के लिए प्रत्येक प्रविष्टि या दस्तावेज के लिए खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकृत बैंकों से कृषि प्रयोजन हेतु	10.00 प्रतिवर्ष
(ग)	ऋण प्राप्त करने के लिए प्रयोजन के लिए निरीक्षण की अनुज्ञा देने के लिए फीस निम्नानुसार होगी- -	
	(एक) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के भूमि स्वामियों के मामले में	कुछ नहीं 25 रुपये
	(दो) उन भूमिस्वामी के, जो ऊपर मद (एक) के अन्तर्गत न आते हों तथा 10 हैक्टेयर से अनधिक भूमि धारण करते हों, मामलों में ।	

(एक) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के भूमि स्वामियों के मामले में

(दो) उन भूमिस्वामी के, जो ऊपर मद (एक) के अन्तर्गत न आते हों तथा 10 हैक्टेयर से अनधिक भूमि धारण करते हों, मामलों में ।

[1][सत्रहवां अनुच्छेद]

(क)	किसी व्यक्ति के लाभ के लिए कारणों, प्रविष्टियों तथा दस्तावेजों की प्रतिलिपियां तैयार करने या देने के लिए या धारा 65,	वही फीस जो ऊपर दिए गए अनुच्छेद आठ ख) के अधीन प्रभारणीय हो और अनुच्छेद आठ न के अधीन अतिरिक्त नियत फीस : परन्तु यह

	66 तथा 67 के अधीन किसी दूसरे कार्यालय को भेजी जाने के लिए ।	और कि जब प्रतिलिपियां फोटो- कापी मशीन से तैयार की जाएं, तब प्रत्येक पृष्ठ के लिए 2 रुपए अतिरिक्त फीस प्रभार्य होगी ।]
(ख)	ऐसी प्रतियों को शीघ्रता से तैयार करने या देने के लिए	खण्ड (क) के अधीन प्रभारणीय फीस का दुगना ।

(क) दावेदार या निष्पादक के नाम, दस्तावेज का प्रकार तथा रजिस्ट्रीकरण का दिनांक और निष्पादक द्वारा आवेदन होने की दशा में स्वीकृति का दिनांक, या

(ख) पुस्तक जिल्द तथा पृष्ठ या वर्ष सहित दस्तावेज का अनुक्रमांक ।

(2) शासकीय कर्मचारी जिनके लिए सद्भावपूर्ण सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रारों का निरीक्षण करना या तलाशी लेना आवश्यक हुआ हो फीस के भुगतान से मुक्त रहेंगे ।

(3) सब-रजिस्ट्रारों द्वारा विनियमों के अधीन दावा करने वाले या उनका निष्पादन करने वाले व्यक्तियों को दी गई अस्वीकृति के कारणों की प्रतिलिपियां फीस से मुक्त रहेगी । (देखिए धारा 71)

(4) धारा 65 या 66 के अधीन प्रतिलिपि देने के लिए कोई फीस सत्रहवें अनुच्छेद के अधीन उस दशा में पारित नहीं की जाएगी जबकि स्थावर संपत्ति से संबंधित न्यायालय की डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उस सब - रजिस्ट्रार या जिले के रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत की जाए बिके कि उप जिले या जिले में प्रभावित संपत्ति का कोई भी भाग स्थित न हो ।

(5) शासकीय कर्मचारी जिन्हें सद्भावनापूर्ण सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए प्रविष्टि या लिखतमों की प्रतिलिपियों की आवश्यकता हो शुल्क के भुगतान से मुक्त रहेंगे ।

अठारहवां अनुच्छेद

	रु. पैसे
(क) नक्शे की प्रतिलिपि दर्ज के लिए (यदि आवेदक ऐसी प्रतिलिपि तैयार करने के लिए अपना निजी प्रबंध करे और उसका खर्चा वहन करे)	10.00

सात - विविध कार्यवाहियों के लिए शुल्क

(उन्नीसवां अनुच्छेद

	रु. पैसे
(क) वसीयत के मुहरबंद लिफाफे को जमा करने के लिए	100.00
(ख) ऐसे लिफाफे को खोलने या निकालने के लिए	50.00

बीसवां अनुच्छेद

अटार्नी के अधिकार पत्र के अभिप्रमाणीकरण के लिए

	रु. पैसे
(क) यदि विशेष हो	10.00
(ख) यदि सामान्य हो	20.00

आठ - आवेदन पत्र तथा आदेशिकाएं जारी किए जाने के लिए
इक्कीसवां अनुच्छेद

(1) न्यायालय शुल्क अधिनियम के अधीन राजस्व पदाधिकारियों को दिए जाने वाले आवेदन - पत्रों के लिए देय शुल्क उन समस्त आवेदन - पत्रों पर उद्ग्रहणीय होगा जिनका कि विधि द्वारा पंजीयन पदाधिकारियों को लिखित में दिया जाना अपेक्षित हो |

(2) पंजीयन पदाधिकारियों द्वारा जारी की गई आदेशिकाओं पर वही शुल्क उद्ग्रहणीय होगा, जो न्यायालय अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत व्यवहार न्यायालयों द्वारा आदेशिकाएं जारी करने के लिए देय होता है ।

वाईसवां अनुच्छेद

1. [50 रुपए] का नियत शुल्क लगाया जाएगा-
   - (क) धारा 72 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक अपील के लिए, उप-पंजीयक द्वारा दस्तावेज को पंजीयन करने से मना करने पर उक्त आदेश के विरुद्ध धारा 73 के अधीन आवेदन-पत्र ।
   - (ख) धारा 74 के अधीन जांच के लिए ।
   - (ग) धारा 35 की उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत उप-पंजीयक जिसको कि पंजीयक के अधिकार दिए गए हैं, द्वारा उन दस्तावेजों के बाबत जांच जिनके निष्पादन से इंकार किया गया हो ।

2. निन्नलिखित के बारे में [1][1० रुपए] का नियत शुल्क लिया जाएगा-
   - (क) धारा 25 (2) एवं धारा 34 (4) के अधीन उप-पंजीयक को प्रस्तुत आवेदन-पत्र;
   - (ख) धारा 36 के अधीन निष्पादकों एवं साक्षियों की उपस्थिति हेतु पंजीयन अधिकारी को प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन-पत्र;
   - (ग) एक अभिकर्ता द्वारा पंजीयन से संबंधित दस्तावेज के साथ पंजीयन को प्रस्तुत दस्तावेज के साथ जब मुख्तारनामे का अनुवाद इस कारण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो, जबकि मुख्तारनामा जिस भाषा में लिखा हो, वह भाषा सामान्यत: उस जिले में प्रयुक्त न की जाती हो;
   - (घ) पंजीयन से संबंधित या पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज के साथ कोई विशिष्ट मुख्तारनामा प्रस्तुत किया जाना हो;
   - (ङ) पंजीयन अधिकारी को प्रत्येक आवेदन-पत्र जो कि पंजीयत वसीयत की वापसी या पंजीयन से मना करने पर वापसी या पंजीयक के कार्यालय में सुरक्षित अभिरक्षा हेतु;

(च) पंजीयक अधिकारी को आवेदन-पत्र, जिसमें कि जिस व्यक्ति के हित में रसीद जारी की गई हो, उसे दस्तावेज वापस करने पर आपत्ति हो;

(छ) धारा 25 (1) एवं 34 (1) के अधीन उद्ग्रहीत जुर्माने की वापसी या मुक्ति के दावे का प्रत्येक आवेदन-पत्र ।

3. [1][10 रुपए] का नियत शुल्क उद्ग्रहीत किया जाएगा-

(क) पंजीयन अधिकारी को किसी भी दस्तावेज को पंजीयन किए जाने पर आपत्ति किए जाने का आवेदन-पत्र;

4. (क) विशेष आवश्यकताओं के आधार पर पंजीयन अधिकारी द्वारा उसके कार्यालय में अवकाश के दिन किसी दस्तावेज को पंजीयन हेतु स्वीकृत करने के लिए प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर (50 रुपए का नियत शुल्क उद्ग्रहीत किया जाएगा ।

(ख) विशेष आवश्यकता के आधार पर अधिकृत अवकाश के दिन पंजीयन अधिकारी को सीलबंद लिफाफे में जिसमें वसीयत का होना तात्पर्यित हो, को जमा करने हेतु प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन-पत्र पर [1][50 रुपये]का नियत शुल्क उद्ग्रहीत किया जाएगा ।

(ग) विशेष आवश्यकता के आधार पर अवकाश के दिन पंजीयन अधिकारी को उसके कार्यालय में मुख्तारनामा प्रमाणित करने हेतु या कि प्रमाणित करने एवं पंजीयन के लिए स्वीकार करने हेतु प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन-पत्र पर [1][50 रुपये का नियत शुल्क उद्ग्रहीत किया जाएगा;

(घ) ऐसे दस्तावेज के पंजीयन हेतु आवेदन जो कि अंशत: पहली बार में पंजीयन से मना किया गया है और पंजीयक द्वारा पंजीयन किए जाने हेतु धारा 75 के अधीन निर्देश दिए गए हैं, निर्धारित रेट के अनुसार प्रतिलिपि शुल्क उद्ग्रहीत किया जाएगा ।

छूट एवं मुक्ति

पहले अनुच्छेद से दसवें एवं सत्रहवें में और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 65 से 67 के अधीन प्रतिलिपियां देने के लिए उद्ग्रहणीय शुल्क निम्नलिखित के संबंध में प्रभार्य नहीं होगे : -

(1) दस्तावेज जो शासन द्वारा या उसके पक्ष में निष्पादित किए जाएं और जिस पर उस हैसियत में इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1899 की धारा 3 परन्तुक 1 के अधीन कोई मुद्रांक शुल्क उद्ग्रहणीय न हो ।

(2) बंधक विलेख जो असैनिक अथवा सैनिक सेवा के शासकीय सेवकों द्वारा उनके निजी उपयोग के लिए निवास गृहों का निर्माण करने अथवा उनको क्रय करने के प्रयोजन के लिए कि सी भी शासन द्वारा प्राप्त अग्रिमों की अदायगी को प्रतिभूत करने के हेतु निष्पादित किए जाएं ।

(3) प्रतिभूति बंध-पत्र और बंध-पत्र जो वर्दी प्राप्त करने के लिए दिए गए अग्रिम के कारण समस्त वर्ग के शासकीय सेवकों और उनके जमानतदारों द्वारा किसी भी शासन के पक्ष में निष्पादित किए जाएं |

(4) बंधक रखी गई संपत्ति के प्रतिहस्तांतरण की कोई भी लिखतम जो किसी भी शासन द्वारा

असैनिक अथवा सैनिक सेवा के अधिकारी के पक्ष में उसके निजी उपयोग के लिए निवास-गृह निर्मित या क्रय करने के पुरजन के लिए शासन द्वारा उसको प्राप्त अग्रिम के भुगतान पर, निष्पादित की जाए ।

(5) कोई भी करार जो किसी गृह के स्वामी द्वारा राज्य शासन के पक्ष में उसको गृह के कलेक्टर द्वारा तथा, पर अनुज्ञप्तिधारी की मदिरा की दुकान के रूप में प्रयोग में लाए जाने के पंजीयन के लिए उचित स्थान के रूप में निबादित किया जाए ।

(6) स्थावर संपत्ति का दान-विलेख जो राज्य शासन द्वारा विद्या मंदिर के रूप में मान्य या सेंट्रल प्र-सेज विद्या मंदिर एक्ट, 1939 (क्रमांक 3 सन् 1940) के अधीन स्थापित शिक्षण संस्था की प्रबंधक समिति या रासधारियों के पक्ष में निष्पादित किया जाए ।

(7) बंधक के रूप में करारनामे जो राज्य शासन से प्राप्त भवन-अनुदानों के प्रतिफल में सहायता प्राप्त हत्या के प्रबंधकों द्वारा निष्पादित किए जाएं ।

(8) बंधक विलेख जो 17 सितम्बर, 1945 को या उसके पश्चात् असैनिक या सैनिक सेवा के शासकीय पदाधिकारियों द्वारा उसके निजी उपयोग के लिए मोटरगाड़ी, मोटरबोट या मोटरसाइकिल के द्र ग् करने के प्रयोजन के लिए शासन से प्राप्त अग्रिम की अदायगी को प्रतिभूत करने के लिए निष्पादित किया |

(9) करारनामे या विलेख जो राज्य शासन को पूर्व-प्रयोजनों के लिए दी गई जंगम या स्थावर संपत्ति के व्याप्तों का सृजन करें ।

(10) स्थावर संपत्ति का दान विलेख जो जनपद सभा के नियंत्रण तथा प्रबंध के अधीन प्राथमिक शाला की स्थापना या उसके संधारण के लिए ऐसी जनपद सभा के पक्ष में निष्पादित किया जाए ।

(11) प्रबंधक विलेख जो मध्यप्रदेश शासन के किसी पदाधिकारी द्वारा अपने स्वयं के निवास हेतु निवास नृह के निर्माण के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड एक्ट, 1950 के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड से उसको प्राप्त अग्रिम की अदायगी को प्रतिभ करने के लिए निष्पादित किया जाए ।

(12) बंधक रखी गई संपत्ति के प्रतिहस्तांतरण की लिखतम, जो मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड एक्ट, 1950 के अधीन स्थापित हाउसिंग बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश शासन के किसी पदाधिकारी के पक्ष में, उसके स्वयं के निवास हेतु निवास गृह का निर्माण करने के प्रयोजन के लिए उक्त बोर्ड से उसको प्राप्त किसी अग्रिम के भुगतान पर, निष्पादित की जाए ।

(13) प्रतिभूति बंध-पत्र जो मध्यप्रदेश शासन के किसी पदाधिकारी के प्रतिभूद्वारा मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड एक्ट, 1950 के अधीन नियत पांचवें फार्म के बंधक विलेख के निबंधनों तथा शर्तो के सम्यक् पालन में निष्पादित किया जाए ।

[1][(14) उन बंधक विलेखों तथा ऐसे बंधक का भाग होने वाले आडमान विलेखों की बाबत् जो-

(क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के भूमिस्वामी द्वारा; या

(ख) उपरोक्त (क) के अन्तर्गत न आने वाले तथा दस हैक्टर से अनधिक भूमि धारण करने वाले भूमिस्वामी द्वारा

मध्यप्रदेश सहकारी भूमि विकास बैक अधिनियम 1966 (क्रमांक 28 सन् 1966) की धारा 2 के खण्ड (ख) के अर्थ के अन्तर्गत केन्द्रीय विकास बैक से या उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) के अन्तर्गत विकास बैक से उधार प्राप्त करने हेतु उनके पक्ष में निष्पादित किए गए हों ।

(14-अ) [1][***]

(15) समस्त प्रकार के दस्तावेज जो मध्यप्रदेश गोल्ड स्मिथ रिहेबिलिटेशन (लोन्स) रूल्स, 1963 के अधीन दिए गए संबंध में स्वर्णकारों द्वारा निष्पादित किए जाएं ।

(16) [2][***]

(17) वीकल को- आपरेशन मिशन पर्सनल (अब यू. एस. ए. एजेन्सी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट) के हित में या द्वारा निष्पादित किसी दस्तावेज जिसके कार्य सीधे अधिनियम के अधीन होते हैं और जिससे कि मध्यप्रदेश सरकार को किसी संपत्ति की स्वत्व या उपयोग हो ।

[3][(18) बंधक-विलेख जो कि-

(एक) ऐसे भूमिस्वामी कि जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, या

(दो) भूमिस्वामी जो कि उपरोक्त (एक) में न आता हो एवं जिसके पास 25 एकड़ से अधिक भूमि न हो;

कृषि उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित बैकों से ऋण को प्राप्त करने हेतु निष्पादित किए गए हों-

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
2. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर,
3. सेन्ट्रल बैक ऑफ इंडिया,
4. बैक ऑफ इंडिया,
5. पंजाब नेशनल बैक,
6. बैंक ऑफ बड़ौदा,
7. यूनाइटेड कमर्शियल बैक,
8. केनरा बैंक,
9. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया,
10. देना बैक
11. सिण्डीकेट बैंक,
12. यूनियन बैक ऑफ इंडिया,
13. इलाहाबाद बैंक,
14. इंडियन बैक,
15. बैक ऑफ महाराष्ट्र,
16. इंडियन ओवरसीज बैक,

[4][17. रीजनल रूरल बैक्स जो कि रीजनल रूरल बैंक्स अधिनियम, 1976 (1976 का क्रमांक 21) के अधीन स्थापित हैं,]

[5][18. पंजाब एण्ड सिंध बैक ।]

19. मध्यप्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति द्वारा रविशंकर शुक्ल हिन्दी भवन, भोपाल के हित में निष्पादित बंध-पत्र ।

[1][20. कोई भी दस्तावेज जो कि राज्य या हेड आफ दि मिशन के हित में या द्वारा निष्पादित किए गए हों और जो शेड्यूल टू दी डिप्लोमेटिक रिलेशंस (वियना कन्वेशन) एक्ट, 1972 (1972 का क्रमांक 43) के अनुच्छेद 23 के अनुसार हों ।]

[2][21. अनुबंध पत्र, सिक्यूरिटीज़ बाण्ड, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज जो शासन के पक्ष में उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित जो कि मध्यप्रदेश सरकार से ऋण प्राप्ति के, जो स्कीम निम्नानुसार बनाई गई है, के अधीन हो - प्लानिंग इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक डिपार्टमेण्ट मेमो क्रमांक 606 - 707 - एम एण्ड, ई - ए- 23 -R-I-(III), दिनांक 4 अप्रैल, 1978, क्रमांक 797-M, एंड ई-ऐ-23-R-I (III), 1254-78-M तथा E-123-R-I, III A, दिनांक 2 अगस्त, 1978 सपठित मेमो क्रमांक 75-M तथा E-B सॉफ्ट-लोन 1975 दिनांक 28 दिनांक 28 नवम्बर, 1975 ।]

[2][(22) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम सनावद को, स्पिनिंग मिल के अन्तरण हेतु निमादित विक्रय पत्र ।]

[3][(23) (क) [4][***]

(ख) ऐसी लिखतें जिनका निष्पादन मध्यप्रदेश को - आपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 1960 (1961 का क्र. 17) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई किसी प्राथमिक सहकारी गृह सोसाइटी के पक्ष में गृह निर्माण के प्रयोजनों हेतु भूमि के अर्जन के लिए किया गया है;

(ग) ऐसे बंधक विलेख या अभिहस्तांकन विलेख जिनका निष्पादन मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 1960 (1961 का क्र. 17) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गए प्राथमिक सहकारी गृह रिर्माण सोसायटी द्वारा या उसकी ओर से गृह निर्माण के प्रयोजनों के लिए किसी संस्था या सोसाइटी से उधार प्राप्त करने हेतु किया गया है ।

(घ) बंधक रखी गई संपत्ति के प्रतिहस्तांतरण की ऐसी लिखतें जिनका निष्पादन मध्यप्रदेश को - आपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 1960 (1961 का क्र. 17) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत समझी गई किसी प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसायटी के पक्ष में ऐसी प्राथमिक सोसाइटी द्वारा उधार का प्रतिसंदाय किए दाने पर किसी संस्था या सोसायटी द्वारा किया गया है ।

[5][24) म. प्र. स्टेट इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन से म.प्र. स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन को सेन्ट्रल डाइंग, ब्लीचिंग और कैलेण्डरिंग प्लान्ट के अन्तरण के लिए निष्पादित विक्रय विलेख ।

[6][(25) गंगाजली फण्ड से होने वाली आय के उपयोग के संबंध में और उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट योजनाओं के संवर्धन एवं कार्यान्वयन के लिए मध्य भारत गंगाजली फण्ड टूल एक्ट, 1954 (क्रमांक 2 सन् 1954) की धारा 2 के खण्ड (ग) के अर्थ के अन्तर्गत न्यास के पक्ष में निमादित बंधक विलेख और अन्य लिखतें ।]

[7][(26) साई समाज जबलपुर के द्वारा निष्पादित 28, 500 रुपए मूल्य का दान-विलेख ।]

(27) कृषि उपज मंडी समिति सोनकच्छ जिला देवास द्वारा महाविद्यालय समिति सोनकच्छ के पक्ष में निष्पादित की गई दान की लिखत |

[1][(28) श्री जमशेदजी, कांट्रेक्टर द्वारा मिशनरीज आफ चेरिटी मार्फत कैथालिक चर्च रतलाम के पक्ष में निष्पादित, रतलाम जिले में स्थित 5 एकड़ भूमि के दान की लिखत |]

[2][(29) श्री ई. अशोक राव सुपुत्र स्व. श्री आर. बिलासपुर के द्वारा एम.ई.एस. लॉ कॉलेज, बिलासपुर के पक्ष में, मौजा जूना बिलासपुर जिला बिलासपुर में स्थित खसरा नं. 660, 1.12एकड़ क्षेत्रफल भूमि का दान-विलेख |]

[3][(3) राज्य शासन, विद्या सागर इंदौर में स्थित 2869 वर्ग फीट के भूमि के प्लाट क्र. 143 के श्री रणजीत विट्ठलदास के प्रतिनिधित्व वाली श्री सत्यसाई इंस्टीटयूट ऑफ हायर लर्निंग प्रशांति निलयम, श्री सत्यसाईं तालुका जिला आनन्थूर, आंध्रप्रदेश के पक्ष में किए गए दान-विलेख पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क से छूट प्रदान करता है|]

[4][(31) मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, नगर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, बस्ती उमूलन मंडल या ग्रामीण आवास मंडल द्वारा इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख के पश्चात् आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तथा निम्न आय समूह के व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख/पट्टा विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस की निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए माफी-

(क) जहां क्रेता पट्टेदार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है -

(एक) वह विक्रेता, पट्टाकर्ता का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है;

(दो) भवन/भूखण्ड के आवंटन की तारीख को भूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन की कीमत रु. 30, 000 से अधिक न हो और यदि केवल भूखण्ड हो तो उसकी कीमत रु. 10, 000 से अधिक न हो;

(तीन) भूखण्ड का क्षेत्रफल भवन सहित या बिना भवन के 60 वर्गमीटर से अधिक न हो ।

(ख) जहां क्रेता/पट्टेदार निम्न आय समूह का है-

(एक) वह विक्रेता/पट्टाकर्ता इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि वह निम्न आय समूह का है;

(दो) भवन / भूखण्ड के आवंटन की तारीख को भूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन की कीमत रु. 50, 000 से अधिक न हो और यदि केवल भूखण्ड हो तो उसकी कीमत रु. 15, 000 से अधिक न हों;

(तीन) भूखण्ड का क्षेत्रफल भवन सहित या बिना भवन के 96 वर्ग मीटर से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण - इस आदेश के प्रयोजन के लिए-

(एक) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का क्रेता / पट्टेदार से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी भवन/ भूखण्ड के आवंटन की तारीख को समस्त स्त्रोतों से मासिक आय रु. 700 से अधिक न हो;

(दो) निम्न आय समूह का क्रेता/पट्टेदार से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसकी भवन/भूखण्ड के आवंटन की तारीख को समस्त स्रोतों से मासिक आय रु. 700 से अधिक किन्तु रु. 1500 से अधिक न हो]

[1][(32) कैलाश पार्क, मनोरमागंज इंदौर स्थित प्लाट क्रमांक 6-बी, 6-सी क्रमंश: 2738 वर्ग फीट के विक्रय विलेख जो कि श्री गेंदालाल सुपुत्र श्री छोटेलाल चौरसी और श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री कन्हैयालाल, श्रीमती सविता पत्नी श्री संजयकुमार और कु. मंजुला सुपुत्री श्री गेंदालाल चौरसी सभी निवासी द्वारा श्री गीता भवन ट्रस्ट मनोरमागंज, इन्दौर के हक में निष्पादित किए जाएंगे, पर प्रभार्य रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट ।]

[2][(33) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई किन्हीं प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसाइटियों द्वारा इस आदेश के रूलपर की तारीख के पश्चात् आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के और निम्न आय समूह के व्यक्तियों के पक्ष में बिक्रय विलेखों / पट्टा विलेखों की लिखतों पर प्रभार्य रजिस्ट्रेशन शुल्क की इन शर्तो के अध्यधीन रहते हुए माफी- -

(क) जहां क्रेता/पट्टेदार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का हो-

(एक) वह इस अधिसूचना के साथ उपाबद्ध प्ररूप में (विलेख के साथ) शपथ पत्र प्रस्तुत करता है;
(दो) भवन अण्ड के आवंटन की तारीख को भूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन की कीमत रुपये 30, 000 से अधिक न हो और केवल भू-खण्ड की दशा में उसकी कीमत रुपए 10,000 से अधिक न हो;
(तीन) भू-खण्ड का क्षेत्रफल भवन सहित या भवन के बिना 60 वर्गमीटर से अधिक न हो;

(ख) जहां क्रेता/पट्टेदार निम्न आय समूह का हो- -
(एक) वह विक्रेता/पट्टाकर्ता इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि वह निम्न आय समूह का है;
(दो) भवन/भू- खण्ड के आवंटन की तारीख को भू-खण्ड तथा उस पर निर्मित भवन की कीमत रुपए 50, 000 से अधिक न हो और केवल भू-खण्ड की दशा में उसकी कीमत रुपए 15 000 से अधिक न हो;
(तीन) भू-खण्ड का क्षेत्रफल भवन सहित या भवन के बिना 96 वर्गमीटर से अधिक न हो;
(चार) भू- खण्ड / भवन केवल निवास के प्रयोजन के लिए हो :

परन्तु इस आदेश के अधीन माफी- -
(एक) भागत: निर्मित किए गए भवन की दशा में प्राप्य नहीं होगी;
(दो) विक्रेता पट्टाकर्ता द्वारा निष्पादित प्रथम हस्तांतरण विलेख पर प्राप्य होगी ।

स्पष्टीकरण - - इस आदेश के प्रयोजन के लिए- -
(एक) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का क्रेता / पट्टेदार से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी भवन /

भू- खण्ड के आवंटन की तारीख को समस्त स्रोतों से मासिक आय 700 रुपए से अधिक न हो ।

(दो) निम्न आय समूह का क्रेता / पट्टेदार से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी भवन / भू- खण्ड के आवंटन की तारीख को समस्त स्रोतों से मासिक आय रुपए 700 से अधिक किन्तु रुपए 1500 से अधिक न हो ।

शपथ पत्र

मैं शपथ घोषणा करता/करती हूं कि. -....................................

1. मेरा नाम...........................पिता का नाम श्री................ आयु.................................... जाति.........................अनुसूचित जाति/जनजाति की दशा मे) है ।
2. मैं तहसील.................... जिला............................ मध्यप्रदेश का................... वर्षो से स्थायी निवासी हूं ।
3. मेरे परिवार में निम्न सदस्य हैं -

(1)................... (पत्नी आयु...................)

(2).................... (पुत्र आयु....................)

(3).................... (पुत्री आयु..................)

(यदि माता-पिता आश्रित हों, उनका नाम आयु वर्णित करें)

4. मेरे स्वयं के नाम से या मेरे परिवार के उपरोक्त वर्णित सदस्यों के नाम से मध्यप्रदेश में कोई आवासगृह नहीं है ।
5. मेरा व्यवसाय............ है (यदि शासकीय अथवा निजी संस्था में मासिक वेतन के आधार पर नियुक्त है तो धारित पद और वेतन के बारे में नियोक्ता का प्रमाण-पत्र संलग्र करें ।)
6. इस व्यवसाय से तथा अन्य स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रुपए.................... है । (गत वर्ष की आय बताएं) ।
7. ....प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी द्वारा जो तथा उस पर निर्मित भवन मुझे आवंटित किया गया है, उसका क्षेत्रफल.................... वर्गमीटर है । उसके आवंटन की तारीख को उसका मूल्य रुपए था । इसके संबंध में सोसाइटी का प्रमाण-पत्र संलग्र है ।
8. मैं उपरोक्त वर्णित प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी का सदस्य हूं । मेरा सदस्यता क्रमांक...........................है
9. मैं विक्रय कर अदा करती / करता नहीं करती / करता हूं । मेरा विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक........................है |
10. मैं आयकर दाता नहीं हूं ।
11. मेरे वाणिज्यिक परिसरों का विवरण निम्नानुसार है-

(1) वाणिज्यिक परिसर, जिसका आकार........................ वर्गमीटर .... (पूरा डाक का पता लिखे) में स्थित है ।

(2) वाणिज्यिक परिसर स्वामित्व किराए पर धारित है । मैं श्री................... (दुकान मालिक का नाम और पता) को मासिक किराया.................... का भुगतान करता हूं ।

(3) उपर्युक्त वाणिज्यिक परिसर में.................... का व्यापार/उत्पादन होता है । घोषणा-पत्र की तारीख को स्टाक का मूल्य लगभग..................... रुपए है ।

(4) मेरी दुकान मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा रजिस्ट्रीकृत है । इसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक..................... है ।

12. मेरे पास मोटरकार/मोटरसाइकिल है तथा उसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक..................... है ।

नोट - मद क्रमांक 1 से 12 तक की समस्त मदें यथावत रखी जाएं । लागू न होने वाले भाग लाइन लगाकर काट दिया जाए ।

स्थान :

तारीख : हस्ताक्षर (घोषणाकर्ता)

सत्यापन

मैं................ सत्यापित करता/करती हूं कि उपरोक्त घोषणा-पत्र के क्रमांक 1 से 12 तक में की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है ।

स्थान :

तारीख : (हस्ताक्षर घोषणाकर्ता)

प्रमाण पत्र

.... प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी................ (नाम तथा जाता रजिस्ट्रीकरण क्रमांक)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री............................पिता............... पता..................इस सहकारी सोसाइटी का सदस्य है । इनका सदस्यता क्रमांक............... है, तारीख...................... भू-खण्ड क्रमांक.................... जो...................... में (स्कीम क्रमांक, कालोनी का नाम, पता) स्थित..................... वर्गमीटर माप का है, जिसका कि मूल्य रुपए है, आवंटित किया गया है |

हस्ताक्षर

अध्यक्ष/सभापति

प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी

[1][(34) स्कीम न. 54 में मेघदूत उपवन इन्दौर के समीप इन्दौर में स्थित 8,095 वर्ग फीट की भूमि है, इन्दौर विकास प्रधिकरण द्वारा श्री शारदा मंडल 16725 अनूप नगर इन्दौर के हित में निष्पादित किये जाने वाले पट्टा विलेख पर प्रभार्य रजिस्टीकरण शुल्क का परिहार (छूट / माफी) ।

[2][(35) मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन की इकाइयों द्वारा बोर्ड से सहायता प्राप्त करने के लिए निष्पादित करार की लिखतों पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस से छूट |]

[3][(36) लघु औद्योगिक इकाइयों द्वारा मध्यप्रदेश वित्त निगम से 7.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निष्पादित बंधक विलेख की लिखतों पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस से छूट ।

[4][(37) मध्यप्रदेश ग्रामीण आवास मंडल से अपने स्वयं के उपयोग के लिए निवास - गृह के निर्माण क्रय या मरम्मत हेतु प्राप्त अग्रिम के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के उद्देश्य से सिविल या मिली सेवा के किसी शासकीय सेवक द्वारा निष्पादित बंधक विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट ।

[5][(38) नर्मदा घाटी परियोजनाओं के कारण विस्थापित परिवार के सदस्य के पक्ष में भूमि अर्जित करने के लिए निष्पादित किए गए विक्रय विलेख / पट्टा विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए परिहार अर्थात्-

(क) परियोजना के संबद्ध भू-अर्जन अधिकारी या पुनर्वास अधिकारी से इस बात का प्रमाण पत्र दिया जाए कि लिखत में उल्लिखित दावेदार परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्ति के परिवार का है और

(ख) अर्जित भूमि परियोजना क्षेत्र में या उसके आसपास स्थित है, जहां विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाया जाना है, और

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) में की स्थिति अंतरण की लिखत में ही अभिव्यक्त है,

(घ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुसार ऐसी लिखतों पर देय रजिस्ट्रीकरण फीस की पृथक् आगम विभाग की प्रतिपूर्ति, विक्रय विलेख! पट्टा विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक मास के भीतर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा की जाएगी ।

[1][(19) खेल प्रशाल निर्माण हेतु पैतीस लाख रुपए के ऋण के प्रतिफलस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के पक्ष में इन्दौर टेबिल-टेनिस ट्रस्ट इन्दौर द्वारा निष्पादित बंधक विलेख ।

[2][(40) श्री मुनीराम पुत्र धन से निवासी कोरबा द्वारा श्री सर्वेश्वरीय समूह कोरबा के हित में ग्राम कोरबा एवं जिला बिलासपुर म.प्र. स्थित खसरा नंबर 197 की एक एकड़ कृषि भूमि के बाबद निष्पादित शरण पर वसूल योग्य फीस 15 प्रतिशत कम की गई ।

[2][(40-क) श्री राणा हनुमानसिंह, निवासी बड़गांव, जिला बालाघाट द्वारा ग्राम बड़ागांव जिला बालाघाट में मित भूमि खसरा नंबर, 118 115 [4][26, 117,12, 111 रकबा 65 एकड़ जिसमें कुआ एवं मकान आदि भी शामिल है, मूल्य 35 लाख रुपए का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के पक्ष में निष्पादित दान पत्र ।]

[3][(41) मध्यप्रदेश स्टेट को- आपरेटिव्ह हाउसिंग फेडरेशन लि. भोपाल द्वारा भारतीय जीवन बीमा ।गीम के पक्ष में 25 मार्च, 1991 को निष्पादित 7. 00 करोड़ रुपये के प्रभार- विलेखाबंधक विलेख पर सारणी के अनुच्छेद एक के अधीन प्रभारीय रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी ।

[4][(42) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में दिनांक 30 मार्च 1992 को निष्पादित 7 करोड़ एवं 1 करोड़ के ऋण के संबंध में भार विलेख / बंधक बिलेख पर रजिस्ट्रीकरण शुल्क की दर सारणी के अनुच्छेद 1 के अधीन प्रभार्य दर का 50 प्रतिशत कम करती है ।]

[5][(43) मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल नगर विकास प्राधिकरण तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र 17 सन 1961) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई प्राथमिक गृह निर्माण समिति द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से स्वयं वित्तीय योजना के अधीन क्रेता से धन प्राप्त कर बनाए गए अपार्टमेंट (फ्लेट मकान के मूल्य पर निष्पादित विक्रय की लिखत ।
इन लिखतों के संबंध में भवन सहित या भवन बिना मात्र संपूर्ण भू-खण्ड के मूल्य पर रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभार्य नहीं होगी :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन भागत: निर्मित किये गए मकान अपार्टमेंट: (फ्लेट की दशा में छूट उपलब्ध नहीं होगी ।]

[6][(44) मध्यप्रेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में दिनांक 27 मार्च 1993 को निष्पादित किए गए रुपए 8 करोड़ के ऋण के संबंध में भार विलेख/ बंधक विलेख रजिस्ट्रीकरण शुल्क की दर सारणी के अनुच्छेद 1 के अधीन प्रभार्य दर का 50 प्रतिशत कम करती है ।]

[1][(45) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित भोपाल द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में दिनांक 29-3-94 को निष्पादित रु. 6 करोड़ के ऋण देने से संबंधित बंधक विलेख पर उक्त अधिनियम की रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी के अनुच्छेद 1 के अधीन विनिर्दिष्ट दर का आधा करती है ।